भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1314

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

प्रत्यक्षकर संग्रह और जीएसटी मुआवजा

1314. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह की रुझान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना सहित देश भर के सभी राज्यों को जारी किए गए कुल बकाये जीएसटी मुआवजे का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में जीएसटी से संबंधित सुधारों एवं जीएसटी परिषद की सिफारिशों की समीक्षा की है;
(घ) यदि हाँ, तो उन परिणामों के आधार पर प्रस्तावित या किए गए सुधारों को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने छोटे उद्यमों के लिए कर आधार एवं व्यापार करने में सरलता सम्बन्धी हाल के जीएसटी अनुपालन उपायों के प्रभाव का आकलन किया है;
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विशिष्ट परिणाम देखे गए हैं; और
(छ) छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाते हुए कर आधार का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक देश में वर्ष-वार संग्रहित कुल प्रत्यक्ष कर का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।
(ख): वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 तक पांच वर्षों के लिए सभी राज्यों को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

(ग) और (घ): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र के सदस्यों वाली एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद ने दिनांक 3 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में कर संरचना का व्यापक दर युक्तिकरण और संरचनात्मक सरलीकरण की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी करते हुए अधिसूचित किया गया है 1
सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे प्रमुख नीतिगत उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं—

i. वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों के शून्य-रेटेड आपूर्ति के कारण प्रतिदाय हेतु दावों को सुगम बनाने के लिए जोखिम-आधारित अनंतिम प्रतिदाय की स्वीकृति शुरू की गई है। सीजीएसटी नियमों में किए गए संशोधन के अंतर्गत, कम-जोखिम वाले मामलों में पात्र प्रतिदाय का 90% तक का अनंतिम प्रतिदाय जारी करने का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर(आईडीएस) के कारण दायर किए गए प्रतिदाय दावों पर भी अंतरिम व्यापार-सुविधा उपाय के रूप में लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की विशिष्ट श्रेणियाँ, जो अनंतिम रूप से प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होंगे, को भी अधिसूचित किया गया है।

ii. एक वैकल्पिक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कम-जोखिम वाले आवेदकों, जो अपने स्वयं के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को की जाने वाली उनकी आपूर्तियों पर उनकी आउटपुट कर देयता प्रति माह 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, ऐसे आवेदकों के मामले में आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित रूप से पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

iii. बिक्री के पश्चात दी जाने वाली छूट के संबंध में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय किए गए किसी समझौते के माध्यम से छूट को स्थापित करने की आवश्यकता और छूट को संगत बीजकों से विशेष रूप से जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आपूर्तिकर्ताओं के लिए कार्य प्रणाली निर्धारित करता हुआ—विशेषकर प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईटीसी रिवर्सल के प्रमाण से संबंधित, पूर्व में जारी परिपत्र को वापस ले लिया गया है। इससे अनुपालन का बोझ कम हुआ है और अतिरिक्त प्रक्रियागत साक्ष्यों पर जोर दिए बिना केवल सांविधिक उपबंधों पर निर्भरता को पुनः स्थापित किया गया है।

iv. बिक्री के पश्चात दी जाने वाली छूट से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, इस क्षेत्र में अस्पष्टता दूर करने और कानूनी विवादों को रोकने हेतु एक परिपत्र जारी किया गया है।

(ङ.) से (छ): छोटे व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

<u>अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी)</u>

<u>i.</u> वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की वार्षिक कारोबार की न्यूनतम सीमा, जो प्रारंभ में 20 लाख रुपए थी, उसे दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर ₹40 लाख(कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर) कर दिया गया है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि ऊपर बताए गए कारोबार की न्यूनतम सीमा से नीचे आने वाली छोटी इकाइयों को जीएसटी अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है और उपरोक्त न्यूनतम कारोबार की सीमा तक कोई जीएसटी देय नहीं है।

<u>ii</u>. कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक कारोबार की न्यूनतम सीमा, जो प्रारंभ में ₹75 लाख थी, उसे 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया गया है (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर)। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को प्रतिवर्ष केवल एक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिससे अनुपालन का बोझ काफी हद तक कम हुआ है।

iii. त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को मासिक रिटर्न की जगह त्रैमासिक आधार पर रिटर्न फाइल करने का विकल्प प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है।

iv. करदाताओं की सुविधा के लिए एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

v. प्रतिदाय प्रक्रिया को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, जिसमें प्रतिदाय आवेदन, प्रसंस्करण तथा स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्णत: रूप से ऑनलाइन की जाती है।

vi. छोटे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने हेतु, 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट प्रदान की गई है।

vii. रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु, पोर्टल पर करदाताओं को संपादन सुविधा सहित स्वतः-जनित रिटर्न उपलब्ध कराई जा रही है, जो करदाता एवं उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल आउटवर्ड सप्लाई विवरण पर आधारित होती है।

viii. करदाताओं की सुविधा एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आईएमपीएस को जीएसटी भुगतान के अतिरिक्त माध्यम के रूप में जोड़ा गया है।

ix. छोटे करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करने हेतु, कुछ शर्तों के अधीन, ईसीओ के माध्यम से राज्य के भीतर की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण को दिनांक 01.10.2023 से समाप्त कर दिया गया है।

x. वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित किसी भी बीजक या डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की समय-सीमा में दिनांक 01.07.2017 से पूर्व प्रभावी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 30.11.2021 तक दायर किसी भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न में आईटीसी लिया जा सकता है।

xi. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 128ए सम्मिलित की गई है, जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी की धारा 73 के अंतर्गत जारी मांग नोटिसों पर उन करादाताओं को ब्याज और दंड की छूट प्रदान की गई है जो नोटिस में की गई संपूर्ण कर मांग का दिनांक 31.03.2025 तक भुगतान कर देते हैं।

xii. जीएसटी के अंतर्गत अपील दायर करने हेतु आवश्यक पूर्व-जमा की राशि को कम करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 और धारा 112 में संशोधन किया गया है।

xiii. छोटे करदाताओं पर विलंब शुल्क के बोझ को कम करने हेतु, जून 2021 से विलंब शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें करदाता की कर देनदारी/कारोबार के साथ विलंब शुल्क की ऊपरी सीमा को सरेखित किया गया है।

xiv. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कुछ अपराधों का अपराधमुक्तिकरण किया गया है।

xv. पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, एक वैकल्पिक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत कम जोखिम वाले आवेदकों तथा ऐसे आवेदकों—जो अपने निर्धारण के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को की जाने वाली उनकी आपूर्तियों पर उनकी मासिक आउटपुट कर देयता 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी—को आवेदन दायर करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित रूप से पंजीकरण प्रदान किया जाएगा।

xvi. अनुपालन की दृष्टि से, जीएसटी संग्रह में वृद्धि लाने के उद्देश्य से कर चोरी करने वालों की पहचान करने हेतु डेटा विश्लेषण उपकरण, अन्य स्रोतों से प्राप्त तृतीय-पक्ष डेटा, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर लक्षित प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

प्रत्यक्ष कर

कर लेखा परीक्षा उपबंधों को युक्ति संगत बनाना:

कर निर्धारण अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने से संबंधित अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से, उन लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए, जहाँ व्यवसाय में नकद लेन-देन (प्राप्तियाँ और भुगतान दोनों) कुल लेन-देन का 5% से कम हैं, कुल बिक्री/कारोबार/सकल प्राप्तियों की वह सीमा, जिसके ऊपर कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है, समय-समय पर बढ़ाई गई है। वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से इस न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया था, जिसे बाद में वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा और बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। अतः निर्धारित शर्तों के अधीन, 10 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले ऐसे लघु व्यवसायों को कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुमानित कराधान की न्यूनतम सीमा बढ़ाना:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एडी छोटे व्यवसायों के लिए एक अनुमानित कराधान योजना प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन कारोबार या सकल प्राप्तियों को 8% या 6% को व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से, इस लाभ का उपयोग करने की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ताकि वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि/ कुल प्राप्त राशि में नकद प्राप्ति कुल कारोबार/ सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हो।

इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 44एडीए छोटे पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान की एक योजना प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन सकल प्राप्तियों का 50% व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से, इस लाभ का उपयोग करने की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि/ कुल प्राप्त राशि में नकद प्राप्ति कुल सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति जो वित्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 44एडी या धारा 44एडीए के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना के अनुसार अपने लाभ और प्राप्तियों की घोषणा करता है, उसे अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है।

*****

अनुलग्नक - क

देश में वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक कुल संग्रहित प्रत्यक्ष कर

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल
2013-14*	6,38,596
2014-15*	6,95,792
2015-16*	7,41,945
2016-17*	8,49,713
2017-18*	10,02,738
2018-19*	11,37,718
2019-20*	10,50,681
2020-21*	9,47,176
2021-22*	14,12,422
2022-23*	16,63,686
2023-24*	19,60,166
2024-25*#	22,26,375#

*स्रोत: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित टाइम सीरीज़ डेटा

#अनंतिम आंकड़े

अनुलग्नक-ख

इस वर्ष जारी किए गए जीएसटी क्षतिपूर्ति का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आंध्र प्रदेश	382	0	2865	7397	6139	2222	19005
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	980	454	1306	2606	1796	568	7710
4	बिहार	2922	2805	5441	8111	7070	501	26849
5	छत्तीसगढ	1589	2608	4538	6130	5740	1876	22481
6	दिल्ली	326	5868	9148	16658	14561	3557	50118
7	गोवा	281	694	1304	2175	2078	464	6996
8	गुजरात	4277	8788	15558	26993	20190	5251	81057
9	हरियाणा	1461	3835	6811	11089	10370	3153	36719
10	हिमाचल प्रदेश	1088	2084	2619	3203	3343	892	13229
11	जम्मू और कश्मीर	1053	1599	3115	4242	3929	489	14427
12	झारखंड	1368	1106	2278	4329	3501	1167	13749
13	कर्नाटक	7670	12465	18463	31708	27988	7966	106260
14	केरल	2102	3757	8173	13118	13022	3192	43364
15	मध्य प्रदेश	2668	3402	6735	11340	9993	2897	37035
16	महाराष्ट्र	3077	8454	18874	47604	35882	7206	121096
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	113	114	147	384	161	6	925
19	मिजोरम	0	0	0	11	0	0	11
20	नागालैंड	0	0	0	14	0	0	14
21	ओडिशा	2344	4237	5328	8060	7259	1638	28866
22	पुदुच्चेरी	387	693	1057	1669	1123	377	5307
23	पंजाब	5225	9764	12738	17136	16887	4793	66542
24	राजस्थान	2989	2570	7085	12229	9088	2162	36123
25	सिक्किम	6	0	0	3	0	0	9
26	तमिलनाडु	1018	5366	11423	23204	19793	4863	65668
27	तेलंगाना	0	0	2996	8442	6130	1608	19177
28	त्रिपुरा	140	176	284	446	407	0	1453
29	उत्तर प्रदेश	2431	0	9168	21337	17956	3852	54744
30	उत्तराखंड	2071	2485	3400	4442	4525	1161	18085
31	पश्चिम बंगाल	1608	2041	6609	12261	12896	2939	38353
	कुल	49576	85367	167462	306341	261827	64801	935373